उद्यानिकी विभाग से संबंधित योजनाओं का विवरण

उद्यानिकी से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारियों के लिए जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग, गुना से संपर्क करें।

सहायक संचालक, जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग,

जिला–गुना, दूरभाष– (07542)252573

उद्यानिकी विभाग, जिला– गुना

राज्य पोषित योजनाएँ

क्र.	योजना का नाम	पात्र हितग्राही	दिया जाने वाल लाभ	किससे संपर्क करें
1	फल पौध रोपण योजना	ग्राम सभा से	जिले मे नींबू तथा अमरूद फलोद्यान पर लागत का 25 प्रतिशत् अनुदान देय है नींबू फलोद्यान में अनुदान 5 वर्षो में तथा अमरूद फलोद्यान में अनुदान 4 वर्षो में दिया जाता है। नींबू मे प्रथम वर्ष 5000, द्वितीय वर्ष 1225, तृतीय वर्ष 1775, चतुर्थ वर्ष 2225 पंचम वर्ष 2425 कुल 12650 रू. अमरूद में प्रथम वर्ष 5175, द्वितीय वर्ष 1275, तृतीय वर्ष 1700, चतुर्थ वर्ष 2050 कुल 10200 रू. दिया जाता है। आम मे प्रथम वर्ष रू4350, द्वितीय वर्ष 975, तृतीय वर्ष 975, चतुर्थ वर्ष 1150 पंचम वर्ष 1150 कुल 8600 रू. ऑवला मे प्रथम वर्ष 4900, द्वितीय वर्ष 1525, तृतीय वर्ष 1538, चतुर्थ वर्ष 1575 पंचम वर्ष 1637 कुल 11175 रू.अनार में मे प्रथम वर्ष 10175, द्वितीय वर्ष 3243, तृतीय वर्ष 3430, चतुर्थ वर्ष 4152, कुल 21000/ रू.	ग्राम उद्यान विस्तार अधिकारी/ वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी/ जिले के सहायक संचालक
2	घरेलू बागवानी (बाडी/किचेन गार्डन)	ग्राम सभा से	बी.पी.एल. परिवारों को, कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों को बाड़ी में सब्जी उत्पादन के लिये निःशुल्क सब्जी बीज किट 50 रू. का वितरण किया जाता है।	ग्राम उद्यान विस्तार अधिकारी/वरिष्ठ उद्यान विकासअधिकारी/ जिले के सहायक संचालक
3	सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना	ग्राम पंचायत स्तर से	सामान्य, अजा./अजजा. वर्ग के हितग्रहियों को उन्नत/संकर सब्जी उत्पादन पर आदान सामग्री का 50 प्रतिशत् अधिकतम 12500/– प्रति हे. जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है। तथा कन्द वाली व्यावसायिक फसल जैसे आलू, अरबी फसल उत्पादन हेतु अधिकतम रू. 25000/– अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत न्यूनतम सीमा 0.25 हेक्टेयर तथा अधिकतम 2.00 हेक्टेयर तक लाभ देने का प्रावधान है।	ग्राम उद्यान विस्तार अधिकारी/ वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी/ जिले के सहायक संचालक